



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या - 328 राँची, बुधवार,

20 जुलाई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

17 जून, 2022

संख्या-5/आरोप-1-78/2017-6244 (HRMS)--श्री खाखा सुशील कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-लोहरदगा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2873, दिनांक 08.06.2017 के माध्यम से उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-586/स्था०, दिनांक 05.05.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा श्री कुमार को निलंबित करने एवं इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गयी।

2. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के अनुशंसा के आलोक में विभागीय आदेश सं०-7971, दिनांक 11.07.2017 द्वारा श्री कुमार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव

से निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित की गयी।

3. प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के पत्रांक-904, दिनांक 28.07.2021 द्वारा श्री कुमार का अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुमार द्वारा निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। पुनः श्री कुमार के पत्र, दिनांक 29.03.2022 द्वारा निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध करते हुए कहा गया कि ये चार वर्षों से निलंबित हैं, जिसके कारण इन्हें आर्थिक, मानसिक और कई वृहत् परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा ये अपने पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्य के प्रति भी असमर्थ हैं।

अतः श्री कुमार द्वारा समर्पित आवेदन एवं मामले के समीक्षोपरांत, श्री खाखा सुशील कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग, सम्प्रति निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Department	Office	Designation	Decision of the Competent Authority	Effective Date	Effect of suspension period on pension
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUSHIL KUMAR KHAKHA (110013186521)	PERSONNEL ADMINISTRATIVE REFORMS AND RAJBHASHA DEPARTMENT	Personnel Administrative Reforms and Rajbhasha Department (RANCHI)	DEPUTY COLLECTOR	श्री खाखा सुशील कुमार, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला- लोहरदगा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग सम्प्रति निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।	17/06/2022	It will NOT be calculated for pension purposes

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
